न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
70/2024	FSS ACT	30.08.2024	09.01.2026

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

—आवेदक

बनाम

1. कल्याण शर्मा पुत्र श्री गोविन्द शर्मा, उम्र 45 वर्ष, जाति ब्राह्मण मैसर्स गोविंद गोपाल फूड प्रोडक्टस, कोलारी धौलपुर
2. बनवारी शर्मा पुत्र श्री गोविन्द शर्मा, उम्र 51 वर्ष, जाति ब्राह्मण मालिक मैसर्स गोविंद गोपाल फूड प्रोडक्टस, कोलारी धौलपुर

—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (v)/58,एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 09.01.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रोहित कुमार शर्मा के द्वारा लिये गये नमूना संख्या डी 2932 में प्रकरण में प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) 58 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार श्री रोहित कुमार शर्मा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.08.2023 को सायं 05:15 पीएम बजे मैसर्स गोविंद गोपाल फूड प्रोडक्टस, कोलारी धौलपुर पर पहुंचा मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम कल्याण शर्मा पुत्र श्री गोविन्द शर्मा, उम्र 45 वर्ष, जाति ब्राह्मण मैसर्स गोविंद गोपाल फूड प्रोडक्टस, कोलारी धौलपुर बताया एवं लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन दिखाने हेतु कहा तो उन्होने खाद्य अनुज्ञा मौके पर दिखाया जो पत्रावली में संलग्न है। श्री रोहित कुमार शर्मा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्माण इकाई में लगभग 15 किलोग्राम की 15 टीन रिफाईण्ड पामोलिन ऑयल रखी हुई थी जो कि खाद्य पदार्थ निर्माण में उपयोग का संदेह पैदा करती है मिलावट का शक होने का शक हुआ तो श्री रोहित कुमार शर्मा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त रिफाईण्ड पामोलिन ऑयल का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर कराकर श्री रोहित कुमार शर्मा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। जो पत्रावली में

न्याय निर्णायक अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न है। विक्रेता की उक्त 15 किलोग्राम की 15 टीन में से एक टीन खोलकर रिफाईण्ड पामोलिन ऑयल का वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता कल्याण शर्मा पुत्र श्री गोविंद शर्मा को रू. 200/– (दो सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये जो पत्रावली में संलग्न है। श्री रोहित कुमार शर्मा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा रिफाईण्ड पामोलिन ऑयल नमूना लेवल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 2932 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम , नमूना लेने का स्थान, फार्मलिन की मात्रा, आदि दर्ज कर श्री रोहित कुमार शर्मा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 2932 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। श्री रोहित कुमार शर्मा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर कल्याण शर्मा पुत्र श्री गोविंद शर्मा के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर श्री रोहित कुमार शर्मा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। जो पत्रावली में संलग्न है। श्री रोहित कुमार शर्मा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली में संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म संख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

श्री रोहित कुमार शर्मा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/ 2023/1057

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

दिनांक 03.10.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/3608/एक्ट/2023/3710 दिनांक 15.09.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया रिफाईण्ड पामोलिन ऑयल Contravenes Regulation no. 2.3.15(1)(b) प्रकृति का पाया गया मूल जांच रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। श्री रोहित कुमार शर्मा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 03.07.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण श्रीमान अभिहित अधिकारी का प्रस्तुत किये।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज अभियोजन स्वीकृति हेतु श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को प्रस्तुत किये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने खाद्य पदार्थ Contravenes Regulation no. 2.3.15(1)(b) प्रकृति का रिफाईण्ड पामोलिन का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(v) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जावे।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त स्वयं उपस्थित। अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त ने अपने जबाव में निवेदन किया है कि प्रकरण में प्रार्थी विपक्षी है और प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे को नहीं लडना चाहता है और मुकदमें का निस्तारण कराना चाहता है। प्रार्थी के उपरोक्त मुकदमे का निस्तारण कर कम से कम जुर्माना लागये जाने की कृपा करें जो न्यायहित में उचित व आवश्यक है। उपरोक्त मुकदमे में प्रार्थी मुकदमा नहीं लडना चाहता है और अपने जुर्म को स्वीकार करता है। अतः प्रार्थना है कि जवाब स्वीकार कर धारा 26(2)(v) FSS की कार्यवाही ड्राप किये जाने की कृपा की जावे।

हमने पैरोकार सरकार व अभिभाषक अभियुक्तगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न **PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR (RAJ)** की **REPORT NO.L.S./3608/Act/2023/3710 DATE 15-09-2023** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

"**Opinion** The sample of **'Refined Palmolein Oil'** bearing code & serial No. **D-2932** of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer, Dholpur is **Contravenes Regulation No. 2.3.15(1)(b)** of food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulation, 2011 because it sold in loose condition.

अप्राार्थी द्वारा Contravenes Regulation no. 2.3.15(1)(b) प्रकृति का रिफाईण्ड पामोलिन का विक्रय करके खाद्य सरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (v) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी Contravenes Regulation no. 2.3.15(1)(b) प्रकृति का रिफाईण्ड पामोलिन बेचने का दोषी है जो धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अतः अप्रार्थी 1. कल्याण शर्मा पुत्र श्री गोविन्द शर्मा, उम्र 45 वर्ष, जाति ब्राहम्ण मैसर्स गोविंद गोपाल फूड प्रोडक्टस, कोलारी धौलपुर 2. बनवारी शर्मा पुत्र श्री गोविन्द शर्मा, उम्र 51 वर्ष, जाति ब्राहम्ण मालिक मैसर्स गोविंद गोपाल फूड प्रोडक्टस, कोलारी धौलपुर के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के तहत 7100/—रुपये (सात हजार एक सौ रू0) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवंअतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

09.01.26

(हरि राम मीणा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)